न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 03/2013 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– गंगाबिशन बिश्नोई पुत्र स्व. परतुराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम रासीसर तालरियाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।

——— अपीलान्ट

–– बनाम ––

राजस्थान राज्य

——— रेस्पोडेन्ट

अनुपस्थित :– श्री जयदीपकुमार शर्मा अभिभाषक अपीलांट

उपस्थित :– श्री चतुर्भुज सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 4.2.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 01.08.2012, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 404/83, एसडीएम (दक्षिण) बीकानेर से बना है, जो दिनांक 30.6.2011 तक नवीनीकृत था, जिसका आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 01.08.2011 को 01 माह विलम्ब से प्रस्तुत किया। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 569 दिनांक 16.12.11 को प्रेषित की है, जिसमें आवेदक के विरूद्ध मुकदमा संख्या 23/2002 अन्तर्गत धारा 341, 323 भादंस में दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। रिपोर्ट में "आवेदक के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 404/83 के नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं की जाती है।" की टिप्पणी की गई। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त किया तथा पुनः जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से रिपोर्ट क्रमांक 338/21.6.12 प्राप्त की गयी जिसमें अभियोग सं0 23/2002 न्यायालय में विचाराधीन होना बताया तथा आवेदक के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 404/83 के नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंसा की गयी । अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की उक्त रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नवीनीकरण आवेदन पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2012 से निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। वरवक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को उपस्थिति हेतु आवाज लगाई गई परन्तु अनुपस्थित रहे। अतः प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की मैरिट पर बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो में अपीलांट का मुख्य कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट में उल्लेखित मुकदमा संख्या 23/2002 में माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 4 बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.03.2012 को बरी कर दिया गया है तो दिनांक 01.08.2012 को शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने गलती की है। इससे पूर्व अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नियमित रूप से नवीनीकरण होता रहा है, जबकि घटना वर्ष 2002 की है और इसके बाद लगातार नवीनीकरण हुआ है। अपीलांट को अपनी जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता है। इस बाबत अपीलांट ने जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष दिनांक 08.05.2012 को प्रार्थना पत्र मय फैसले की नकल कॉपी भी प्रस्तुत की थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 21.06.12 के आधार पर उसका आवेदन पत्र निरस्त करदिया गया है । अपीलांट आदतन अपराधी नहीं है। उसके विरूद्ध वर्तमान में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है ना ही विचाराधीन है। अपीलांट शांति प्रिय नागरिक है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 21.6.12 में अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है । व्यापक लोक शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में अपीलांट के विरूद्ध दर्ज मुकदमा संख्या 23/2002 जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर पुनः प्राप्त रिपोर्ट कमांक 338 दिनांक 21.6.12 में विचाराधीन न्यायालय होना बताया है । जबकि अपीलान्ट का कथन है मुकदमा में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के आधार पर न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.3.13 द्वारा जरिये राजीनामा अपीलान्ट को बरी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य तनाव रहा है। अपीलांट ने अपने अपील मीमो में स्वंय स्वीकार किया है कि उसे जान–माल को खतरा है, इसलिए उसे शस्त्र की आवश्यकता है। ऐसे में यदि अपीलांट के पास शस्त्र रहेगा तो उसके दुरूपयोग की प्रबल संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 1.8.2011 को प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पत्र के संलग्न अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र दिनांक 1.8.11 प्रस्तुत किया गया, जिसमें बिन्दु सं02 में बताया है कि '' मेरे विरुध्द इस देश के किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक अभियोजन लम्बित नहीं है'' । जबकि दिनांक 1.8.2011 को उसके विरुध्द आपराधिक प्रकरण सं0 23/2002 न्यायालय में विचाराधीन था । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा गलत शपथ प्रस्तुत किया जाकर तथ्यों को छुपाया है । ऐसे में तथ्यों को छुपाये जाने, व्यापक लोक शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मध्यनजर हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

7. अतः न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2012 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 4.2.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर